भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 791

26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एबी-पीएमजेएवाई के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयु सीमा

791. **श्री रामप्रीत मंडल:**
श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत कवर किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त सभी लाभार्थियों को कार्ड जारी किए गए हैं;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत आयु सीमा को 70 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): वर्तमान में, पात्र परिवारों के सभी सदस्य, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आते हैं। इस योजना को लागू करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने खर्च पर लाभार्थी आधार का आगे और विस्तार किया है। दिनांक 20.07.2024 तक की स्थिति के अनुसार, देश भर में लगभग 34.7 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

अनुलग्नक

योजना के तहत पात्र परिवारों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/_संघ राज्य क्षेत्र	पात्र परिवारों की संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	23,785
आंध्र प्रदेश	6,147,562
अरुणाचल प्रदेश	98,844
असम	3,003,069
बिहार	12,110,525
चंडीगढ़	79,226
छत्तीसगढ़	41,144,847
दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव	47,578
दिल्ली	654,041
गोवा	41,098
गुजरात	4,985,484
हरियाणा	1,724,837
हिमाचल प्रदेश	532,396
जम्मू और कश्मीर	670,010
झारखंड	3,118,620
कर्नाटक	6,901,440
केरल	2,397,610
लद्दाख	12,120
लक्षद्वीप	1,628
मध्य प्रदेश	9,327,963
महाराष्ट्र	9,305,910
मणिपुर	307,908
मेघालय	385,708
मिजोरम	216,584
ओडिशा	6,780,308
नागालैंड	259,468
पुडुचेरी	114,968
पंजाब	1,665,113
राजस्थान	6,637,371
सिक्किम	44,228
तमिलनाडु	8,648,748
तेलंगाना	2,902,621
त्रिपुरा	549,554
उत्तर प्रदेश	13,123,662
उत्तराखंड	597,682
पश्चिम बंगाल	12,437,482
